**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1469**

**दिनांक 04.03.2020/14 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**कश्मीरी पंडितों की वापसी**

**1469. श्री दिग्विजय सिंहः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकार ने वर्ष 2014 में यह वादा किया था कि वे सुरक्षा, सम्मान तथा रोजगार आश्वासन के साथ अपने पूर्वजों की भूमि पर कश्मीरी पंडितों की वापसी को सुनिश्चित करेगी; और**

**(ख) वर्ष 2014 से अब तक ऐसे कितने परिवार वापस आ गए हैं?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी )**

(क) और (ख): भारत सरकार का यह प्रयास रहा है कि कश्‍मीरी प्रवासियों को विभिन्‍न पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करके उनकी सुरक्षित वापसी की जाए और घाटी में उनके लौटने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाए।

तदनुसार, सरकार ने प्रधान मंत्री विकास पैकेज, 2015 (पीएमडीपी-2015) के अतंर्गत कश्‍मीरी प्रवासियों के लिए निम्‍नलिखित पुनर्वास योजनाएं अनुमोदित की हैं:

i) 1,080 करोड़ रुपए के परिव्‍यय से कश्‍मीरी प्रवासियों के लिए राज्‍य सरकार की 3,000 नौकरियों का सृजन। जम्‍मू और कश्‍मीर सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सूचना के अनुसार, 1781 पदों के संबंध में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और दिनांक 22 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, 604 अभ्‍यर्थियों ने अलग-अलग विभागों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ये नौकरियां, प्रधानमंत्री पैकेज-2008 के अंतर्गत अनुमोदित राज्‍य सरकार की 3000 नौकरियों के अतिरिक्‍त हैं, जिनके सापेक्ष 2,905 नौकरियां दी गई हैं।

ii) पीएमआरपी-2008 के अतंर्गत, रोजगार प्राप्‍त 3000 कश्‍मीरी प्रवासियों तथा पीएमडीपी-2015 के अंतर्गत 3000 अतिरिक्‍त प्रवासियों को ठहराने के लिए 920 करोड़ रुपए के परिव्‍यय से 6,000 ट्रांजिट आवासों का निर्माण। ठहराने के लिए 849 फ्लैट उपलब्‍ध हैं और 560 फ्लैट निर्माणाधीन हैं।

**-2-**

**रा.स. अता. प्र.सं. 1469 दिनांक 04.03.2020**

उपर्युक्‍त के अलावा, सरकार जम्‍मू में बसे हुए पात्र कश्‍मीरी प्रवासियों को मासिक नकद राहत की प्रतिपूर्ति करती है। वर्ष 2014 से, नकद राहत को दो बार बढ़ाया गया है अर्थात् वर्ष 2015 में 6600 रुपए प्रति परिवार से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति परिवार और वर्ष 2018 में बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रति परिवार किया गया है। इसके अतिरिक्‍त, इन कश्‍मीरी प्रवासियों को सूखा राशन भी उपलब्‍ध कराया जाता है।

दिल्‍ली में बसे हुए कश्‍मीरी प्रवासियों के मामले में, भारत सरकार प्रति व्‍यक्ति 3250 रुपए की मासिक नकद राहत के संबंध में राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार (जीएनसीटीडी) द्वारा किए गए व्‍यय की प्रतिपूर्ति करती है, जिसमें से जीएनसीटीडी का हिस्‍सा प्रति व्‍यक्ति 1000 रुपए है।

\*\*\*\*\*